दिनांक 23 जुलाई, 1987

सं. ओ. वि. एफ.डी. गुड़गांव/133-86/29437.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मारूति उद्योग लिमिटिड, गुड़गांव, के श्रमिक श्री मदन लाल शर्मा मार्फत मारूति उद्योग मजदूर सभा, मकान नं० 459, सैक्टर 17, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मदन लाल शर्मा की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/134-86/29444.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मारूति उद्योग लि०, गुड़गांव के श्रमिक श्री सोहनवीर सिंह मार्फत मारूति उद्योग मजदूर सभा मकान नं० 459, सैक्टर 17, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री सोहनबीर सिंह की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 7 अगस्त, 1987

सं० ओ० वि० कुरु/20-87/31365.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, सैक्टर 17, चण्डीगढ़" 2. कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा, राज्य बिजली बोर्ड, कुरुक्षेत्र, के श्रमिक श्री बन्त सिंह, पुत्र श्री उदेय राम मार्फत श्री राजेश्वर नाथ, 2655, टिम्बर मार्किट, अम्बाला छावनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है :—

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7-क के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री बन्त सिंह की सेवा समाप्त की गई या उसने स्वयं नौकरी से गैर-हाजिर हो कर लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?